राज्य-सहयुक्त बैंक (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1962

(1962 का अधिनियम संख्यांक 56)

[14 दिसम्बर 1962]

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम,
1959 और बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 का और संशोधन करने का
तथा कतिपय लघु राज्य-सहयोजित बैकों के परिसमापन का
और उससे सम्बन्धित विषयों का
उपबन्ध करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के तेरहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राज्य-सहयुक्त बैंक (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1962 है ।

(2) धारा 3, उसके खण्ड (ii), (iv) और (vii) के सिवाय, उस तारीख[1] को प्रवृत्त होगी जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेः और इस अधिनियम का शेष भाग तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

[2]* * * * * * *

5. धौलपुर स्टेट बैंक की बाबत उपबन्ध—(1) किसी अन्य विधि में या किसी आदेश या अन्य लिखत में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी,—

(क) केन्द्रीय सरकार धौलपुर बैंक का प्रबन्ध ग्रहण करने या उसके कार्यकलाप के परिसमापन और उसकी आस्तियों के वितरण के लिए एक या अधिक अधिकारी को आदेश द्वारा नियुक्त कर सकती है तथा ऐसी नियुक्ति, प्रबन्ध, परिसमापन या वितरण के सम्बन्ध में उपगत कोई व्यय उस बैंक द्वारा संदेय होगा;

(ख) धौलपुर बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध किसी दावे को या किसी भी प्रश्न को, चाहे वह विधि का प्रश्न हो या तथ्य का प्रश्न, जिसका सम्बन्ध उस बैंक के परिसमापन से हो या जो उसके परिसमापन के अनुक्रम में पैदा हो ग्रहण करने और उसका विनिश्चय करने की अनन्य अधिकारिता उस जिले के, जिसमें धौलपुर बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है, आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय को होगी, चाहे ऐसा दावा या प्रश्न परिसमापन के आदेश की तारीख के पूर्व प्रोदभूत या पैदा हुआ हो या उसके पश्चात प्रोदभूत या पैदा होता है और किसी ऐसे दावे या प्रश्न से संबंधित किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही में, चाहे वह सिविल प्रकृति की हो या दाण्डिक प्रकृति की जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर किसी अन्य न्यायालय में लम्बित है, इस धारा के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी अन्यथा नहीं;

(ग) बैंक के परिसमापन के लिए कार्यवाहियों के अनुक्रम में लेखाबहियों में की प्रविष्टियों की साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता, बैंक के ऋणियों की सूची के परिनिर्धारण, उक्त ऋणियों द्वारा शोध्य रकमों के संदाय के लिए आदेश पारित करने, उक्त आदेशों या न्यायालय के किन्हीं अन्य आदेशों या डिक्रियों के निष्पादन, बैक पर दावों की पूर्विकता, अधिमानी, संदाय करने और बैंक के अन्य दायित्वों के उन्मोचन की बाबत तथा किन्हीं अन्य आनुषंगिक या सम्बन्धित विषयों की बाबत वही विधि लागू होगी जो बैंककारी कम्पनियों के परिसमापन के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त है मानो धौलपुर बैंक एक बैंककारी कम्पनी था;

(घ) धौलपुर बैंक को शोध्य किसी संदाय से सम्बन्धित किसी वाद या आवेदन के लिए, जो संदाय बैंक के परिसमापन के प्रभारी अधिकारी की प्रथम नियुक्ति की तारीख के पूर्व प्रोदभूत हुआ हो या उस तारीख को या उसके पश्चात प्रोदभूत हो, परिसीमाकाल निम्नलिखित में से बाद में समाप्त होने वाली अवधि होगा, अर्थात, दावा प्रोदभूत होने की तारीख से बारह वर्ष या उपयुक्त अधिकारी की प्रथम नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष; और

(ङ) बैंक द्वारा संदेय निक्षेप दावों और अन्य शोध्य रकमों के प्रतिसंदाय के पश्चात, जिसमें राजस्थान सरकार को शोध्य रकमें भी हैं, बैंक की शेष आस्तियां, यदि कोई हों, यथाशक्य, स्टेट बैंक, धौलपुर ऐक्ट 1915 में, और अन्य सुसंगत दस्तावेजों में, विनिर्दिष्ट प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए उपयोजित की जाएगी ।

(2) इस धारा में "धौलपुर बैंक" से धौलपुर स्टेट बैंक के नाम से ज्ञात और इस धारा के प्रारम्भ पर स्टेट बैंक, धौलपुर अधिनियम, 1915 से शासित बैंक अभिप्रेत है ।

[2]* * * * * * *

---

[1] 1 जनवरी, 1963 देखिए अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1781, तारीख 18-12-1962, भारत का राजपत्र, 1962. भाग 2, खंड 3 (i), पृ० 2141 ।

[2] 1974 के अधिनियम सं०56 की धारा 2 और पहली अनुसूची द्वारा दारा 2 से 4 और धारा 6 निरसित ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक से परामर्श करके यह विनिश्चय किया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक आफ बीकानेर को, जिसे भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 के अधीन भारतीय स्टेट बैंक की समनुषंगी के रूप में गठित किया गया है, अधिनियम की धारा 38 के उपबंधों के अनुसार, स्टेट बैंक आफ जयपुर, भारतीय स्टेट बैंक की एक अन्य समनुषंगी उपक्रम की आस्तियों और दायित्वों का प्रबंध ग्रहण करना चाहिए । भारतीय स्टेट बैंक और संबद बैंकों ने यह उपदर्शित किया है कि वे आमेलन के पश्चात परिवर्तन की जाने वाली अंतरिती संस्था को इस प्रकार नाम देना चाहेंगे जिससे कि उसमें बीकानेर और जयपुर दोनों के प्रति निर्देश को सम्मलित किया जा सके । क्योंकि विधि के विद्यमान उपबंधों में भारतीय स्टेट बैंक की कानूनी समनुषंगियों में किसी भी कानूनी समनुषंगी के नाम में परिवर्तन करने का उपबंध नहीं है, इसलिए भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे कि नाम में किसी ऐसे परिवर्तन के लिए उपबंध किया जा सके ।

(2) इस संशोधन द्वारा प्रदान किये गए अवसर को बैंककारी बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 के उपबंधों को उपांतरति करने के लिए स्टेट बैंक के निदेशकों द्वारा मतदान से संबंधित भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के उपबंधों को स्पष्ट करने के लिए उपयोग किया जा रहा है जिससे कि इसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य कानूनी बैंककारी निगमों को लागू किया जा सके और दो लघु राज्य-सहयोजित बैंक अर्थात स्टेट बैंक आफ धौलपुर और स्टेट बैंक आफ कुरन्दवाढ़ (कनिष्ठ) को, जिन्हें पूर्ववर्ती भारतीय शासकों द्वारा अधिनियमित कानूनों के अधीन स्थापित किया गया था किन्तु जो कुछ समय से सामान्य रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, क्रमिक रूप से परिसमापन करने का उपबंध किया जा सके ।